प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का वेतनमान एवं एरियर भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6184/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/2023-24 दिनांक 26.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन एरियर भुगतान हेतु मद संख्या-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में रु0 38.64 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ के उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा / उत्तर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन एरियर भुगतान हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक- 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रु0 82.86 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत रु0 53.73 लाख में से सुसंगत लेखा शीर्षक के मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रु0 38.64 लाख (**रु0 अड़तीस लाख चौसठ हजार मात्र**) का पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न् शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा
3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
5) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 800 अन्य व्यय- 03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण-**52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)** के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें- 800 अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आंवटित आर0ई0 संख्या-बजट-1-858 दिनांक 29 मार्च, 2024 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-825(1)/52-2-2024-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-347/वक्फ न्या0ल0/2023-24/पुनर्विनियोग/लेखा दिनांक 19.03.2024 के सन्दर्भ में।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त(ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in